भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 752

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में डेंगू के मामले

752. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक में हाल ही में डेंगू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने डेंगू वायरस से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस स्थिति पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय दल भेजने की योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार भारत में सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए टीकाकरण कराने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य देखभाल के लिए कर्नाटक को आवंटित निधियों के संबंध में कोई आंकडे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या राज्य द्वारा निधियों के उपयोग में कोई चूक हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 में, 30 जून तक कर्नाटक राज्य में डेंगू के कुल 5976 मामले सामने आए, जबकि इसकी तुलना में, वर्ष 2023 की इसी अवधि में डेंगू के 2260 मामले सामने आए।

मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, एनसीवीबीडीसी और क्षेत्रीय निदेशक, बेंगलुरु कार्यालय कर्नाटक सहित सभी राज्यों में डेंगू की स्थिति की नियमित समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं।

भारत सरकार ने देश में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डेंगू नियंत्रण गतिविधियों (घरेलू प्रजनन जांचकर्ता, कीटनाशक, फॉगिंग मशीन आदि का प्रावधान), डेंगू मामले प्रबंधन, प्रशिक्षण सहायता, निगरानी, जागरूकता आदि गतिविधियों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।
- जन स्वास्थ्य उपायों का कार्यान्वयन करने और डेंगू का आगे प्रसार रोकने के लिए इसके प्रारंभिक चरण में मामलों का पता लगाने के लिए 37 प्रहरी निगरानी अस्पतालों और एक शीर्ष रेफरल प्रयोगशाला के माध्यम से कर्नाटक में डेंगू के निःशुल्क निदान की सुविधा प्रदान की गई है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के माध्यम से चिह्नित की गई प्रयोगशालाओं को परीक्षण किट प्रदान की जाती हैं। इसकी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- डॉक्टरों को नैदानिक प्रबंधन और कीटविज्ञानियों को एकीकृत वेक्टर प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की ओर से भविष्य में किसी भी प्रकोप से निपटने के लिए और उससे संबंधी तैयारियों के बारे में कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को संवेदनशील बनाने और चेतावनी देने के लिए परामर्शिका जारी की गई है।
- केंद्र सरकार ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और मामलों के प्रबंधन के लिए नैदानिक दिशा-निर्देश राज्यों को कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ): मंत्रालय सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करता है।

(ङ) और (च): केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को धन आवंटित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम एबीएचआईएम) के तहत कर्नाटक राज्य को केंद्र द्वारा जारी धनराशि क्रमशः 553.36 करोड़ रुपये (दिनांक 15.07.2024 तक) और 14.38 करोड़ रुपये (दिनांक 18.07.2024 तक) है।

******